| ...की तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस ... की तामील में जा... |
| --- | --- | --- |
| 01/18 | वकील प्रार्थी उपस्थित पैरोकार सरकार उपस्थित बहस दर्ज 07 R 11 CPC सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/2/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) | |
| 2/18 | पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। बहस वकील की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 175 R.T. Act खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सं० 1 से किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो मुताबिक। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) | |

Scanned by CamScanner

सरकार बनाम नाजिम वगैरा

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

आदेश दिनांक 08/02/2019

पत्रावली प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षिप्त तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि तहसीलदार द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र धारा 175 में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया है। जो जान वूझ कर नहीं बताया है। क्योंकि तहसीलदार द्वारा इसी आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में धारा 175 का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 22.06.1976 को खारिज हो गया था इसलिए प्रकरण रेसजूडिकेटा की तारीफ में आता है किसी भी प्रार्थना पत्र या दावा का वादकरण एक वार होता है और आर्डर 7 रूल 11 के तहत एक वार दावा या प्रार्थना पत्र किसी भी रूप में खारिज हो गया है तो दूसरा दावा या प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। दिनांक 22.06.1976 को जो प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है सरकार/तहसीलदार ने उसके विरूद्व किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की है। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2004 को पेश किया है वह मियाद वाहर पेश किया है और तहसीलदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है जो कानूनन आवश्यक था। दिनांक 14.05.74 के वयनामा को आधार मानकर धारा 175 की कार्यवाही दिनांक 16.09.2004 की गई है जो 30 साल वाद की गई है जवकि धारा 175 आर टी एक्ट की कार्यवाही को अमल में लाने के लिये उस समय मियाद 12 साल थी। इस कारण कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। जवकि तहसीलदार को धारा 175 के प्रार्थना पत्र की पूर्व में ही जानकारी थी इस प्रार्थना पत्र के मामले में समयावधि सम्बन्धी प्रावधान लागू होते है चाहे हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य क्यों न हो। अतः तहसीलदार का प्रार्थना पत्र धारा 175 आर टी एक्ट खारिज किया जावे।

तहसीलदार कठूमर ने अप्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वो प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.1976 को जानकारी के अभाव में मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाये जाने के कारण खारिज हुआ था जो कोई गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं हुआ जिसमें तनकी कायम नहीं की गई। यदि गैरसायलान को उक्त वावत कोई एतराज होता तो पूर्व में वक्त जवाव एंव कायम तनकीयात के समय आपत्ति उठाई जानी चाहिए थी। प्रार्थना पत्र रेसजुडिकेट की तारीफ में नहीं आता है। प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः अप्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीयान ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व अपने कथनों के समर्थन में कानूनी नजीर आर आर टी 2006 पार्ट 1 पेज 383 से

SN

Scanned by CamScanner

/र आर टी 2006 पार्ट 1 पेज 226 से 230, आर आर टी 2011 पार्ट 1 पेज 117 से 122, .र टी 2015 पार्ट 1 पेज 665 से 672 की छाया प्रति पेश की है।

विद्वान तहसीलदार कठूमर ने अपनी वहस में अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को हराया व प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व अप्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया व प्रस्तुत राजस्व पत्रादि व कानूनी नजीरों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीयान व तहसीलदार कठूमर की वहस पर मनन किया। यह सही है कि तहसीलदार कठूमर ने इसी आराजी वावत एक प्रार्थना पत्र पूर्व में अदालत में पेश किया जो दिनांक 22.06.1976 को खारिज कर दिया गया इस तरह प्रकरण वावत दिनांक 22.06.1976 को ही कॉज ऑफ एक्शन एजराइज हो गया था। जिसकी तहसीलदार कठूमर द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है। इसके 30 साल वाद तहसीलदार कठूमर द्वारा इस सम्बन्ध में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कोई उचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया है जहां तक मियाद के विन्दु पर कानून की मंशा है दिनांक 23.04.71 तक मियाद 3 साल दिनांक 23.04.1971 को इसमें संशोधन कर 12 साल व दिनांक 05.10.1981 को इसमें संशोधन कर 30 साल कर दी गई। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद वाहर है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर का तहसीलदार ने कोई खण्डन नहीं किया है कानूनी नजीर अखण्डित व प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 आर टी एक्ट खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner